

बिहार सरकार  
ऊर्जा विभाग

पत्रांक-प्र02/BSPTCL-05/2015  
सेवा में,

पटना, दिनांक-

महालेखाकार (लेखा एवं हक),  
बिहार, वीरचन्द्र पटेल मार्ग, पटना।

**विषय:** बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० के अन्तर्गत राजधानी पटना एवं समीपवर्ती क्षेत्रों की विद्युत आवश्यकता के अनुरूप संचरण प्रणाली के सुदृढीकरण हेतु कार्यरत 50 एम०भी०ए० ट्रांसफॉर्मरों को 80 एम०भी०ए० क्षमता वाले ट्रांसफॉर्मर से बदलने एवं 132 के०भी०ए० संचरण लाइनों की वहन क्षमता में वृद्धि की 226.25 करोड़ रुपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में 43.00 करोड़ (तीतालीस करोड़) रुपये बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं० लि० को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश-स्वीकृत।

विभागीय राज्यादेश संख्या 2448 दिनांक 23.08.2015 के द्वारा बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० के अन्तर्गत राजधानी पटना एवं समीपवर्ती क्षेत्रों की विद्युत आवश्यकता के अनुरूप संचरण प्रणाली के सुदृढीकरण हेतु कार्यरत 50 एम०भी०ए० ट्रांसफॉर्मरों को 80 एम०भी०ए० क्षमता वाले ट्रांसफॉर्मर से बदलने एवं 132 के०भी०ए० संचरण लाइनों की वहन क्षमता में वृद्धि की 226.25 करोड़ रुपये की योजना की स्वीकृति एवं इसके कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 में 01.00 करोड़ रुपये बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की गई है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्यादेश संख्या 1975 दिनांक 21.06.2016 के द्वारा 100.00 करोड़ रुपये तथा वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्यादेश संख्या 2824 दिनांक 11.09.2017 के द्वारा 25.00 करोड़ रुपये अर्थात् अबतक कुल 126.00 करोड़ रुपये इस योजना के कार्यान्वयन हेतु बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० को उपलब्ध कराया गया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में इस योजना के कार्यान्वयन हेतु बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० द्वारा 43.00 करोड़ रुपये की मांग की गई है, जिसे उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है।

2. उक्त आलोक में बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० के अन्तर्गत राजधानी पटना एवं समीपवर्ती क्षेत्रों की विद्युत आवश्यकता के अनुरूप संचरण प्रणाली के सुदृढीकरण हेतु कार्यरत 50 एम०भी०ए० ट्रांसफॉर्मरों को 80 एम०भी०ए० क्षमता वाले ट्रांसफॉर्मर से बदलने एवं 132 के०भी०ए० संचरण लाइनों की वहन क्षमता में वृद्धि की 226.25 करोड़ रुपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में 43.00 करोड़ (तीतालीस करोड़) रुपये बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं० लि० को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि माँग सं०-10, मुख्य शीर्ष 4801-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-उप मुख्य शीर्ष-05 संचरण तथा वितरण, लघु शीर्ष-190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश, उपशीर्ष-0105-बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० की परियोजना, विपत्र कोड-10-4801051900105 विषय शीर्ष 5401-निवेश के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

4. इस राशि की निकासी उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा CFMS के माध्यम से सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० के व्यक्तिगत लेखा खाता (पी०एल० खाता) के मुख्य शीर्ष 8448-स्थानीय निधियों की जमा, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-120-अन्य निधियाँ, उपशीर्ष-0044-बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं० लि०, व्यय शीर्ष-L8448001200044 एवं प्राप्तियाँ-K-8448001200044 में जमा की जाएगी।

5. बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० द्वारा राशि की निकासी कोषागार में खोले गए पी० एल० खाता संख्या PLA272 से की जाएगी।

6. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

7. उक्त योजना की स्वीकृति हेतु मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन संचिका संख्या-प्र02/BSPTCL-05/2015 के पृष्ठ संख्या-5/टि० पर दिनांक-22.08.2015 को प्राप्त है।

8. राज्यादेश पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-प्र02/BSPTCL-05/2015 पृष्ठ संख्या-18/टि० पर दिनांक-01.08.2019 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(प्रत्यय अमृत)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-प्र02/BSPTCL-05/2015

/पटना, दिनांक

प्रतिलिपि:-महालेखाकार(लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-प्र02/BSPTCL-05/2015

2059

/पटना, दिनांक- 01/08/19

प्रतिलिपि:-वित्त विभाग, बजट शाखा/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (हो०) कं० लि०/प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं० लि०/उप महाप्रबंधक(वित्त एवं लेखा), बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं० लि०/आई०टी० मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।